



# गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

## CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

### आकस्मिकता का लेखा जोखा जमा करने हेतु प्रपत्र Form for submitting accounts of Contingency

शोधार्थी का नाम: \_\_\_\_\_ नामांकन : \_\_\_\_\_

Name of the Fellow: \_\_\_\_\_ Enrollment: \_\_\_\_\_

विभाग /केंद्र/संस्थान: \_\_\_\_\_

Department /Centre /School: \_\_\_\_\_

योजना का नाम: \_\_\_\_\_ जेआरएफ/एसआरएफ: \_\_\_\_\_

Name of the Scheme: \_\_\_\_\_ JRF/SRF: \_\_\_\_\_

आकस्मिकता की राशि: \_\_\_\_\_

Rate of contingency: \_\_\_\_\_

आकस्मिकता दावा वर्ष (अवधि): \_\_\_\_\_

For the Year (period) of contingency claim: \_\_\_\_\_

पहले दावा की गई आकस्मिकता : \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक (पिछली तिमाही)

Previously claimed contingency: from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ (Last Quarter)

धनराशि : \_\_\_\_\_ दिनांक: \_\_\_\_\_

Amount: \_\_\_\_\_ Dated \_\_\_\_\_

आकस्मिकता दावा: \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक (तिमाही)

(निम्नलिखित वस्तुओं में)

Contingency claiming: from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ (Quarter)

(in following items)

धनराशि : \_\_\_\_\_ दिनांक: \_\_\_\_\_

Amount: \_\_\_\_\_ Dated \_\_\_\_\_

- 1) पुस्तकें और सहायक सामग्री  
Books and Allied items:
- 2) टंकण (ट्रेसिंग और अमोनिया मुद्रण) :  
Typing (Tracing & Ammonia printing):
- 3) लेखन सामग्री:  
Stationery:
- 4) डाक व्यय:  
Postage:
- 5) रासायनिक और विद्युतीय वस्तुएँ:

6) यात्रा:

Travel

यह प्रमाणित किया जाता है कि \_\_\_\_\_ के संदर्भ में वि.अ.आ. योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से अध्येता के लिए उपलब्ध \_\_\_\_\_ रुपये की आकस्मिकता अनुदान राशि में से \_\_\_\_\_ रुपये का व्यय किया गया है। यह व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया गया था।

Certified that the expenditure of Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_), out of the contingency grant of Rs. \_\_\_\_\_ made available to the fellow through Bank under the UGC scheme in respect of \_\_\_\_\_ has been utilized for the purpose for which it was sanctioned in accordance with the terms and conditions laid down by the University Grants Commission.

यदि बाद में किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो प्रतिदाय समायोजन या आपत्ति की गई धनराशि को नियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

If any irregularity is noticed at a later stage, action will be taken to refund adjust or regularize the objected amount.

हस्ताक्षर

Signature

दिनांक:

Date:

छात्र का नाम:

Name of Student

हस्ताक्षर

Signature

दिनांक:

Date:

(उपरोक्त डेटा की जाँच कर उसे सत्यापित कर लिया गया है)

(above data checked and verified )

विभाग/केंद्र/संस्थान के अध्येतावृत्ति प्रभारी

Fellowship Incharge of Dept /Centre/School

हस्ताक्षर

Signature

दिनांक और मोहर सहित

(with Date &amp; Stamp)

मार्गदर्शक /पर्यवेक्षक:

Guide/Supervisor:

हस्ताक्षर

Signature

दिनांक और मोहर सहित

(with Date &amp; Stamp)

विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष

HoD /Chairperson

हस्ताक्षर

Signature

दिनांक और मोहर सहित

(With Date &amp; Stamp)

अधिष्ठाता

Dean

(आकस्मिकता के लेखेजोखे का प्रपत्र मूल बीजकों के साथ केंद्र/ संस्थान में जमा करें। केंद्र/संस्थान को इन बीजकों का रिकॉर्ड रखना होगा और इन कागजातों के आधार पर डेटा की केवल संयुक्त सूची (अनुलग्नक के अनुसार) उचित माध्यम से वित्त विभाग को अग्रेषित करनी होगी)

(Submit form of account of Contingency with original bills to Centre/School. Centre/school have to keep these bills in records and on the basis of these document, only combined list of data (as per annexure) should be forwarded to Finance department through proper channel)